भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1279

मंगलवार, 30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

हलमन खुबानी करकिच्चू सेब को जी आई टैग

1279. श्री मोहम्मद हनीफ़ाः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लद्दाख में मुख्य रूप से उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले और उच्च उत्पादन (15 से 20 मीट्रिक टन हलमन प्रति वर्ष) वाले हलमन (खुबानी की एक किस्म) और करकिच्चू सेब को अभी तक भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) नहीं दिए गए हैं;

(ख) क्या मंत्रालय का विचार उच्च गुणवत्ता और उत्पादन तथा स्थान के संदर्भ में इसकी विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए हलमन खुबानी और करकिच्चू सेब को शीघ्र ही जीआई टैग प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी समय-सीमा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): अधिकांशत: लद्दाख क्षेत्र में पाया जाने वाला हलमन (खुबानी की एक किस्म) और करकिच्चू सेब वर्तमान में भौगोलिक संकेतक (जीआई) उत्पाद के रूप में पंजीकृत नहीं है।

(ख) और (ग): भौगोलिक संकेतकों का पंजीकरण स्वैच्छिक नहीं है बल्कि यह जीआई अधिनियम और नियमों के फ्रेमवर्क के तहत प्रदत्त कानूनी संरक्षण है। जीआई अधिनियम और नियमों के कानूनी फ्रेमवर्क के अनुसार, भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण हेतु उस समय लागू किसी कानून द्वारा अथवा उसके तहत स्थापित उत्पादक संघ अथवा किसी संगठन अथवा प्राधिकरण, जो संबंधित वस्तु के उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदकों को माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 और माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) नियम, 2002 में उल्लिखित अनिवार्य कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना पड़ता है।

*****